उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

संख्या– 604 /सत्तर–1–2016–20(1)/13

लखनऊ : दिनांक :13 जून, 2016

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या–375/सत्तर–1–2016–20(1)/13 दिनांक 31 मई, 2016 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

2– प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/वित्त/नियुक्ति–कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4– प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।

5– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

6– सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002

7– सदस्य सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002

8– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

C.O.E.

9– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।

10– कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

11– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

12– अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ–226001

13– निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

14– समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Allahabad Notification/s.o

Uttar Pradesh Shashan
Uchcha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.375 , dated May 31 , 2016

Notification

No-375 /70-1-2016-20(1)/2013
Lucknow : Dated: May 31, 2016

In exercise of the powers under sub-section (1 A) of section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974 the Governor is pleased to appoint 17 June, 2016 as the date on which Allahabad State University, Allahabad shall be established.

Under sub-section-(6) of the said section the Governor is further pleased to direct that Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur or Dr. Ram Manohar Lonia Avadh University, Faizabad shall make necessary arrangements for declaration of examination results and after that Allahabad State University, Allahabad on the basis of such declaration shall be eligible to award its degree to any student of any degree college studying or was eligible to appear in the examination for the degree of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur or Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad who fall in the jurisdiction of this University just before the establishment of this University.

By Order,

(Jitendra Kumar)
Pramukh Sachiv

Allahabad Notification

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

संख्या–375 / सत्तर–1–2016–20(1) / 2013

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 17 जून, 2016 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्थापित होगा।

2- उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे महाविद्यालय के किसी छात्र, जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर अथवा डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था या उसके लिये परीक्षा में बैठने के लिये पात्र था, के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिये छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर अथवा डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा तथा ऐसी परीक्षा का फल घोषित करेगा और तदुपरान्त इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिये सक्षम होगा।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–375/सत्तर–1–2016–20(1)/2013
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 17 जून, 2016 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्थापित होगा।

2– उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे महाविद्यालय के किसी छात्र, जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर अथवा डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था या उसके लिये परीक्षा में बैठने के लिये पात्र था, के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिये छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर अथवा डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा तथा ऐसी परीक्षा का फल घोषित करेगा और तदुपरान्त इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिये सक्षम होगा।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

Allahabad Notification/...